188

# न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– M-109 /2018

धारा–107 द०प्र०सं०

निरंजन मुण्डा बनाम रघु मुण्डा

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | अभिलेख सं०–एम 109 /2018 में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं०– 27/18 दिनांक 05-08-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता सं० 1985 प्लौट सं० 2071 रकबा 1.30 एकड़ जमीन पर विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। | |

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 05/09/18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

05/09/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

05/09/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

पृष्ठ सं० 7

| | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| -5-19 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 10-06-19 को रखें। (हस्ताक्षर) 10/06/19 | |
| 10-06-19 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजिर। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अतः वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 10/06/19 | |

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.19 12:11:59 +05:30
Location: 10.93.79.5